



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर चोरी करने व अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व ₹7000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 246/2024 धारा-305ए, 331(4), 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सिविल जज सी०डि० जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संजय कंजड़ पुत्र अतर सिंह उर्फ रिंगे निवासी नई बस्ती, सिद्धार्थनगर कदौरा जिला जालौन को 02 वर्ष का साधारण कारावास व ₹7,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्री अतुल
तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 शिवकुमार
सिंह



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 अनिल कुमार